

04-0-2017

आवेदक द्वारा श्री M.S. यादव एड.।

पुनश्च- ~~आवेदक~~ द्वारा श्री B.S. गवेल A-6. A.

उक्त प्रकरण का अवलोकन किया गया, पंजीबद्ध अपराध थाना गोहद के क्षेत्राधिकार का है, जबकि प्रस्तुत शपथपत्र के उनवान में पुलिस मालनपुर लिखा है, इस कारण यह भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है। किन्तु वास्तविकता में उक्त अपराध थाना गोहद के क्षेत्राधिकार का है, एवं थाना गोहद के अपराध के संबंध में इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि प्रथम अपर सत्र न्यायालय, गोहद को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसलिये उक्त जमानत आवेदनपत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए अधिवक्ता श्री मुंशीसिंह यादव को विधिवत वापिस किया जाता है।

मूल आवेदनपत्र मय प्रपत्र के संबंधित न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद की ओर भेजे जावें। प्रपत्रों की छायाप्रतियां ली जाकर इस प्रकरण में संलग्न की जावें। एवं परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

हामिद अहमद
4/1/17